पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जानें

अनुसूचति जाति और अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण), अधिनियग, 1989

पुलिस सुधार : अति महत्त्वपूर्ण, अविलम्बनीय

यह पुस्तिका कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) द्वारा गृह मंत्रालय के लिए पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने नामक श्रृंखला के एक भाग के रूप में तैयार की गयी है।

सी.एच.आर.आई. एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र, गैर–लाभकारी, गैर–सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है और मानवाधिकार मानदंडों के अधिक अनुपालन की वकालत करता है और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.humanrightsinitiative.org को देखें।

अवधारणा	:	श्रीमती माजा दारूवाला
विषय वस्तु और अनुसंधान समन्वयक	:	डा. दोएल मुकर्जी
आलेख	:	सुश्री वसुधा रेड्डी
अनुसंधान दल	:	श्री अर्नव दयाल, एस. चटर्जी
अनुवादक	:	श्रीमती शालिनी भूषण
आवरण अवधारणा और लेआउट / अभिकल्प	:	श्री रंजन कुमार सिंह और डा. दोएल मुकर्जी
रेखांकन	:	श्री सुरेश कुमार
सहायक कर्मचारी	:	सुभाष कुमार पात्र, पलानी अजय बाबू
मुद्रक	:	मैट्रिक्स, नई दिल्ली

कमला और शंकर दोनों बंधुआ मजदूर थे और जो पति–पत्नी भी थे। वे मुख्यतया सेठ राम गोविन्द के खेत पर काम करते थे जिसके लिए उन्हें काफी कम पैसे मिलते थे। वे एक छोटे से खेत पर भी खेती–बाड़ी करते थे जो उनकी अपनी थी।

अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम का उल्लंघन

कमला और शंकर ने सेठ से थोड़ा कर्ज लिया था क्योंकि उस साल सूखे के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गयी थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने कर्ज की आधी रकम चुका दी थी। परन्तु सेठ ने कहा कि उसे कर्जे की बाकी रकम तुरन्त चाहिए। जब कमला और शंकर ने बताया कि उनके लिए कर्ज की बाकी रकम तुरन्त अदा करना असंभव है तो सेठ ने उन्हें धमकाया कि ऐसे हालत में उन्हें अपनी जमीन छोड़नी होगी। जब उन्होंने जमीन छोड़ने से इनकार किया तो सेठ ने उन्हें गालियां दी और शंकर को पिटवाया और कमला को गांव में नंगा घुमवाया।

अपनी जमीन से बेदखल किए जाने के बाद कमला और शंकर भागकर कमला नगर आए जहां उनका दोस्त रघु काम करता था। जब उन्होंने रघु को आप–बीती सुनायी तो उसने कहा ''मैं समझता हूं कि तुम्हें दादाजी को यह बात बतानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारी मदद करेंगे।'' ''ठीक है, रघु, हम ऐसा करेंगे'', शंकर ने कहा।

अगले दिन कमला और शंकर दादाजी के घर गए। ''अन्दर आ जाओ'', दादाजी ने कहा, ''रघु ने मुझे बताया था कि तुम लोग मुझसे मिलने आ रहे हो। तुम मुझे यह क्यों नही बताते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ?'' थोड़ा–थोड़ा कर कमला और शंकर ने पूरी घटना बतायी जो उसके साथ हुई थी। जब उन्होंने पूरी बात बता दी तो, शंकर ने पूछा, ''क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं?'' कमला ने कहा – ''कृपया बताए हमें क्या करना चाहिए?''

दादाजी ने कमला और शंकर को उनके अधिकारों के बारे में बताया

''जरूर शंकर, मैं मदद करूंगा। सबसे पहले मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के बारे में सुना है'', दादाजी ने पूछा।

जब कमला और शंकर ने नकारते हुए अपना सिर हिलाया तो उन्होंने कहा **''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम या एस.सी./एस.टी. एक्ट का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध को रोकना और ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास भी प्रदान करना है।''**

''सेठ ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है क्या यह अधिनियम उसे उसकी सजा देगा?'' कमला ने पूछा। ''हां, यह अधिनियम सेठ राम गोविन्द को सजा देगा'', दादाजी ने कहा।

''अधिनियम कहता है कि वैसे अपराधी या लोग जो ऐसा अपराध करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग नहीं होते हैं और वे अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के खिलाफ जो अपराध करते हैं, वह अधिनियम में सूचीबद्ध है।''

''आपने एक सूची के बारे में बताया है.....क्या उन अपराधों को इस अधिनियम में शामिल किया गया है जो अपराधी करते हैं?'' शंकर ने पूछा।
''हां, यह सही प्रश्न है'', दादाजी ने उत्तर दिया। ''अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ सूची में शामिल कोई भी अपराध किया जाता है वह इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति माना जाता है।''

''इस सूची में कौन–कौन से अपराध शामिल हैं'', कमला ने पूछा।

''इस सूची में लगभग 20 अपराध शामिल हैं। सेठ राम गोविन्द को उनमें से कुछ अपराध के लिए सजा दी जा सकती है, और ये अपराध हैं:–

1. किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए जमीन पर खेती न करने देना।
2. किसी व्यक्ति को नंगे या चेहरा और शरीर पर रंग पोतकर घुमाना।

3. किसी व्यक्ति को अपनी जमीन में जाने से या पानी लेने से या किसी जगह पर जाने से या मकान में घुसने से रोकना।
4. किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने या भीख मांगने के लिए मजबूर करना।
5. किसी व्यक्ति को उसके घर या गांव छोड़ने पर मजबूर करना'', दादाजी ने स्पष्ट किया।

अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम का उल्लंघन

''सूची में कौन–कौन से अन्य अपराध शामिल हैं'', शंकर ने पूछा।

''अधिनियम में शामिल अन्य अपराध इस प्रकार है :–

1. किसी व्यक्ति को गंदगी या ऐसी चीज खाने पर मजबूर करना जो खाया न जा सके जैसे कि घास, कीचड़, मल, आदि।
2. किसी व्यक्ति के घर में या उसके घर के आस–पास गंदगी या मल फेंक कर उसे ठेस पहुंचाना या उसका अपमान करना।
3. किसी व्यक्ति को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने से रोकना या किसी व्यक्ति को एसकी अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करने से रोकना।

4. किसी व्यक्ति को झूठी कानूनी कार्यवाही के लिए मजबूर करना, दूसरे शब्दों में गलत जानकारी देना ताकि कोई व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है, किसी मामले में फंस जाए और वह जेल जाए या उसे फांसी हो।
5. किसी व्यक्ति को गलत जानकारी देकर सरकारी सेवकों द्वारा उसे चोट पहुंचाना या उसे परेशान करना।
6. किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर जानबूझकर अपमानित करना और बेइज्जत करना।
7. किसी महिला का यौन उत्पीड़न करना।
8. किसी व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल लेने से रोकना।
9. किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने देने से रोकना।

अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम का उल्लंघन

10. किसी व्यक्ति के घर या पूजा स्थल को जलाकर उसे नुकसान या क्षति पहुंचाना।
11. जब कोई सरकारी सेवक किसी व्यक्ति को गलत ढंग से नुकसान पहुंचाता है या उसके खिलाफ कोई अपशब्द कहता है'', दादाजी ने कहा।

''क्या अधिनियम यह बताता है कि सेठ को किस प्रकार सजा दी जा सकती है'', कमला ने पूछा।

''इस अधिनियम के अंतर्गत कम–से–कम 6 महीने के कारावास और ज्यादा–से–ज्यादा पांच वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है'', दादाजी ने बताया। ''परन्तु कुछ मामलों में न्यूनतम सजा को बढ़ाकर एक वर्ष का कारावास और अधिकतम सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या यहां तक कि मृत्युदंड भी कर दिया जाता है।''

''दादाजी! हमारे क्षेत्र की पुलिस ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की है। क्या यह अधिनियम उनके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकता है'', शंकर ने पूछा।

''हां शंकर, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। अधिनियम यह कहता है कि पुलिसकर्मी जैसा कोई सरकारी सेवक जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं है, जानबूझकर उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे करनी चाहिए तो उसे 6 महीने तक के कारावास की सजा हो सकती है'', दादाजी ने उत्तर दिया।

''एक बार किसी व्यक्ति ने सेठ राम गोविन्द के खिलाफ बलात्कार का मामला उठाया था, सेठ ने कोई अग्रिम जमानत की अर्जी दी और वह जेल जाने से बच गया। अगर वह दोबारा ऐसा करता है तब क्या हो सकता है'', शंकर ने पूछा।

''सेठ अब दोबारा ऐसा नहीं कर सकता है'', दादाजी ने कहा। ''क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता है'' दादाजी ने कहा।

''अब हमें क्या करना चाहिए, दादाजी'', कमला ने कहा। ''तुम्हे नजदीकी पुलिस थाने में तुरन्त एक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। यदि तुम दोनों अभी भी डरे हुए महसूस करते हो तो मैं भी शिकायत दर्ज करा सकता हूं। सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति, जिसे घटना की जानकारी है, शिकायत दर्ज कर सकता है'', दादाजी ने बताया। ''क्या शिकायत दर्ज करने की कोई विशेष प्रक्रिया है'', शंकर ने पूछा।

''एक सामान्य एफ.आई.आर. दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वहीं प्रक्रिया इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में भी लागू होती है कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है'', दादाजी ने कहा।
''शिकायत में किन–किन बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए'', कमला ने पूछा।

''तुम्हें निम्नलिखित बातों का उल्लेख करनी चाहिएः–

1. अपना नाम और पता
2. कौन सी घटना घटी – घटना के तथ्य
3. घटना कब घटी – घटना की तारीख और समय
4. घटना कहां घटी – वह स्थान जहां घटना घटी
5. घटना में शामिल व्यक्ति का नाम – जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया उसका ब्यौरा और उसका नाम और उसका पता, यदि तुम्हें इसकी जानकारी हो।
6. गवाह – किसी ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा जिसने घटना को देखा हो और उसके नाम और पते, यदि तुम्हे इसकी जानकारी हो'', दादाजी ने बताया।

''क्या और भी कोई जानकारी है जो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में हम जान सकते हैं'', शंकर ने पूछा।

''चूंकि तुम दोनों लिखना–पढ़ना नहीं जानते, तुम्हे पुलिस को अपनी शिकायत मौखिक रूप से दर्ज करानी होगी, जो उसे तुम्हारे लिए लिखेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद तुम इस बात पर जोर देना कि वह इसे तुम्हे पढ़कर सुनाए। जब तुम्हे यह विश्वास हो कि सभी बातें सही है तभी तुम्हे इस पर अपने अंगूठे का निशान लगाना चाहिए और सबसे याद रखने वाली बात यह है कि यदि तुम चाहो तो तुम एफ.आई.आर. की एक प्रति निःशुल्क ले सकते हो'', दादाजी ने स्पष्ट किया।

''क्या पुलिस सेठ राम गोविन्द को अभी तुरन्त गिरफ्तार कर सकती है'', कमला ने पूछा।

अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम
के अंतर्गत शामिल अपराध संज्ञेय अपराध होते है

''हां! इस अधिनियम में दिए सभी अपराध संज्ञेय अपराध हैं। इसका मतलब यह है कि पुलिस मुजरिम को गिरफ्तार कर सकती है और अदालत के आदेश का इंतजार किए बगैर जांच शुरू कर सकती है'', दादाजी ने उत्तर दिया।

कमला और शंकर ने एक–दूसरे को देखा और तब शंकर ने रूक–रूक कर कहा, ''हमने अदालत जाने के बारे में नहीं सोचा था। नजदीकी अदालत काफी दूर है। बार–बार वहां जाना काफी खर्चीला होगा और साथ ही समय भी अधिक लगेगा। हमें नई नौकरी की तलाश करनी होगी। हम अदालती मामले पर हर समय ध्यान नहीं रख सकते दादाजी।''

''तुम्हे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है'', दादाजी ने कहा। ''प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति, उस पर निर्भर उसके परिवार के सदस्यों तथा गवाहों को यात्रा और अन्य भत्ता दिया जाता है जब भी वे किसी पूछताछ, जांच या अभियोजन के लिए जांच अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास आते हैं। अतः केस को छोड़ने की बात ही मत सोचो, ठीक है।''

''हम केस नहीं छोड़ेंगे। भगवान का शुक्रिया है कि यात्रा भत्ता दिया जाता है'', कमला ने कहा।

''मुझे लगता है कि तुम दोनों के साथ कुछ आर्थिक समस्या है'', दादाजी ने कहा। ''मैं तुम्हे अधिनियम में उल्लिखित मुआवजे के बारे में बताना चाहता हूं। मुआवजे की राशि प्रत्येक मामले में अलग होती है और यह राशि 20,000 रुपए से 2,00,000 रुपए तक है, यदि तुम्हे मुआवजा चाहिए तो तुम जिला मैजिस्ट्रेट या जिला समाज कल्याण अधिकारी से मिल सकते हो।''

''ओह! चूंकि अब हम अपनी जमीन और गांव से बेदखल कर दिए गए हैं, मुआवजा हमारे लिए काफी सहायक होगा!'' मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं आपको क्या लगता है जांच पूरा करने में पुलिस कितना समय लेगी।, कमला ने पूछा।

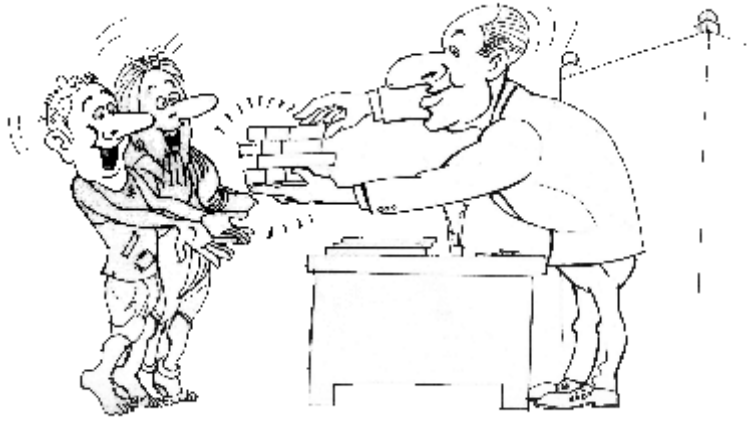

अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजे दिए जाते हैं

''जांच अधिकारी को उच्च प्राथमिकता के साथ तीस दिनों के अन्दर जांच पूरी करनी होती है'', दादाजी ने कहा। ''अधिक–से–अधिक उसे तीस दिन से सिर्फ कुछ ही दिन अधिक लेना चाहिए।''

''कौन पुलिस अधिकारी जांच कार्य करेगा? क्या जांच कार्य इंस्पेक्टर खान द्वारा किया जाएगा या हवलदार भान द्वारा?''

''नहीं! नहीं! नहीं! इस अधिनियम के अंतर्गत जांच एक ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जो पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक का न हो। अतः तुम्हें पुलिस थाना के कर्मचारी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है'', दादाजी ने कहा।

''कभी–कभी पुलिस हमारी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करती है और कभी–कभी वह जांच में महीनों लगाती है और कभी–कभी वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं करती जो अपराध करता है? यदि हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या होगा? तब हमें क्या करनी चाहिए'', चिंतित कमला ने पूछा।

''यदि शिकायत दर्ज नहीं होती है या फिर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं होती है तो तुम्हे जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में लिखना चाहिए। यदि तुम उसके द्वारा की गई कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हें निम्नलिखित को शिकायत भेजनी चाहिए।''

''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (भारत सरकार, पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003, टेलीफोन 011–4620435, फैक्स – 011–4625378)'', दादाजी ने उत्तर दिया।

''क्या कुछ और भी बातें हैं जो हमें इस अधिनियम के बारे में जाननी चाहिए, दादाजी?'' ''नहीं! मैं समझता हूं कि हमने सभी सम्बद्ध मुद्दों के बारे में बात कर ली है'' उन्होंने बताया। ''क्या हम अब आप शिकायत दर्ज करने पुलिस थाना चलें?'' ''हां'', कमला ने कहा, ''हमें अब तुरन्त चलना चाहिए।''

इस **पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने** श्रृंखला में निम्नलिखित पुस्तिका शामिल है :

- प्रथम सूचना
- गिरफ्तारी और रोक
- पुलिस पूछताछ
- विधिक सहायता सेवा
- अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम
- जमानत
- मौलिक अधिकार

गृह मंत्रालय
मानवाधिकार विभाग
भारत सरकार